

**न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)**

**पीठासीन अधिकारी- वीरेन्द्र सिंह राजपूत**  
**आप0 पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 12/2017**  
**संस्थापन दिनांक-23.01.2017**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1                             | देवसिंह कुशवाह पुत्र भीकाराम सिंह, उम्र 60 वर्ष, निवासी- वार्ड क्र. 5 गोहद जिला भिण्ड।                  |
| 2                             | शिवाजी पुत्र देवसिंह, उम्र 27 वर्ष। निवासी - कैची की पुलिया के पास वार्ड क्र. 5 गोहद, जिला भिण्ड म.प्र. |
| .....पुनरीक्षणकर्ता / आवेदकगण |   |

**ब-ना-म**

- |   |  |
|---|--|
| 1   | रमेशचन्द्र पुत्र छोटेलाल, उम्र 60 वर्ष।  |
| 2   | नरेशचन्द्र पुत्र छोटेलाल, उम्र 57 वर्ष।  |
| 3   | अशोक कुमार पुत्र छोटेलाल, उम्र 48 वर्ष।  |
| 4   | राजकुमार पुत्र छोटेलाल, उम्र 45 वर्ष।    |
| 5   | रामकुमार पुत्र छोटेलाल, उम्र 43 वर्ष।    |
| 6   | दिलीप कुमार पुत्र छोटेलाल, उम्र 40 वर्ष। |
| समस्त निवासी वार्ड क्र. 9 पुराने थाने के पास गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 |  |
| .....उत्तरदातागण / अनावेदकगण  |  |

**एवं**

**आप0 पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 42/2017**  
**संस्थापन दिनांक-15.05.2017**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1                             | देवसिंह कुशवाह पुत्र भीकाराम सिंह, उम्र 60 वर्ष, निवासी- वार्ड क्र. 5 गोहद जिला भिण्ड।                  |
| 2                             | शिवाजी पुत्र देवसिंह, उम्र 27 वर्ष। निवासी - कैची की पुलिया के पास वार्ड क्र. 5 गोहद, जिला भिण्ड म.प्र. |
| .....पुनरीक्षणकर्ता / आवेदकगण |   |

**ब-ना-म**

- 1 रमेशचन्द्र पुत्र छोटेलाल, उम्र 60 वर्ष।
  - 2 नरेशचन्द्र पुत्र छोटेलाल, उम्र 57 वर्ष।
  - 3 अशोक कुमार पुत्र छोटेलाल, उम्र 48 वर्ष।
  - 4 राजकुमार पुत्र छोटेलाल, उम्र 45 वर्ष।
  - 5 रामकुमार पुत्र छोटेलाल, उम्र 43 वर्ष।
  - 6 दिलीप कुमार पुत्र छोटेलाल, उम्र 40 वर्ष।
- समस्त निवासी वार्ड क्र. 9 पुराने थाने के पास  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0  
.....**उत्तरदातागण / अनावेदकगण**

पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधि.  
उत्तरदातागण द्वारा श्री रविरमन वाजपेई  
अधिवक्ता।

**आदेश**

( आज दिनांक 25/05/2017 को पारित किया गया)

**नोट-** आपराधिक पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 12/17 एवं 42/17 के पक्षकार समान हैं और अधीनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण में पारित पृथक पृथक आदेशों के विरुद्ध उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है। अतः उक्त दोनों ही पुनरीक्षण याचिकाओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है, जिसमें कि याचिका क्रमांक 12/17 के साथ मूल आदेश पारित किया जा रहा है, जिसकी सत्यप्रतिलिपि पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 42/17 में संलग्न की जा रही है।

01. पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से यह पुनरीक्षण याचिकाएं अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व परगना गोहद, जिला भिण्ड के द्वारा उनके न्यायालय में संचालित प्र0क्र0 05/2015 रमेशचन्द्र गुप्ता बगैरह वि0 देवीसिंह कुशवाह आदि, जिसमें कि याचिका क्रमांक

12/17 आदेश दिनांक 10.01.2017 के विरुद्ध एवं याचिका क्रमांक 42/17 आदेश दिनांक 25.01.2017 के विरुद्ध पेश की गई हैं। जिसमें कि आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र दिनांक 04.08.2016 निरस्त करते हुए अनावेदकगण की साक्ष्य अंकित की गई है, जिसमें कि पुनरीक्षणकर्तागण को प्रतिपरीक्षण का अवसर न देते आवेदनपत्र निरस्त किया गया है, जिससे व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिकाएं प्रस्तुत की हैं।

02. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत याचिका क्रमांक 12/17, 14/17 संक्षेप में इस प्रकार है कि उत्तरदातागण की ओर से एस.डी.एम न्यायालय गोहद में धारा 133 जा0फौ0 का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें लिए गए आधारों के संबंध में पुनरीक्षणकर्तागण के द्वारा आवेदनपत्र दिया था कि उत्तरदातागण जो विवादित स्थल बता रहा है वह सर्वे क्रमांक 974 का भाग है और उक्त स्थल कस्बा गोहद में स्थित है जिसका पुनरीक्षणकर्ता भूस्वामी एवं आधिपत्यधारी है, उक्त भूमि का सीमांकन किए बिना राजस्व निरीक्षण ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए गैरपुनरीक्षणकर्ता के प्लॉट के उत्तर दिशा में रहे रास्ते को छिपाया गया है। अतः आराजी क्रमांक 976 एवं 974 का सीमांकन कराए जाने बावत् आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2017 को निरस्त किया गया है तथा उक्त प्रकरण में पुनरीक्षणकर्तागण की सुनवाई न करते हुए आवेदकगण की अनुपस्थिति में साक्षी राजकुमार का कथन लेख कर आवेदकगण की अनुपस्थित अंकित कर दी गई, जबकि आवेदक कथन के बाद न्यायालय में उपस्थित हुआ था जिसे कूटपरीक्षण का मौका नहीं दिया गया। कथन के दौरान अनावेदक राजकुमार के कथन से फोटोप्रतियों को गलत रूप से प्रदर्शित कराया गया है। इस संबंध में आवेदक के द्वारा कूटपरीक्षण करने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था जिसे बिना किसी वैध कारण के दिनांक 25.01.2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

03. उक्त दोनों पुनरीक्षण याचिकों में पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश 10.01.2017 एवं 25.01.2017 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होना व्यक्त करते

हुए अभिकथित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनका आवेदनपत्र गलत रूप से चलने योग्य नहीं माना है और सीमांकन न कराए जाने के संबंध में गलत निष्कर्ष निकाला है जो कि विधि के विपरीत होने से उक्त दोनों आलोच्य आदेश अपास्त कर पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से प्रस्तुत प्रथक प्रथक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करने का निवेदन किया है।

04. उत्तरदातागण की ओर से अधिवक्ता श्री रविरमन वाजपेई ने आलोच्य आदेशों को विधि एवं तथ्यों के अनुरूप होना दर्शाते हुये पुनरीक्षणकर्तागण की दोनों ही पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

05. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एस. श्रीवास्तव एवं उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता श्री रविरमन वाजपेई को सुना गया। पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 12/17 व 42/17 एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्र0 05/2015 रमेशचन्द्र गुप्ता बगैरह वि0 देवीसिंह कुशवाह आदि का अवलोकन किया गया।

06. वर्तमान याचिका के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न है :-

|     |  |
|-----|--|
| 01. | क्या अधीनस्थ न्यायालय राजस्व गोहद द्वारा प्रकरण क्र0 05/15 (रमेशचन्द्र गुप्ता बगैरह वि0 देवीसिंह कुशवाह आदि) में पारित आदेश दिनांक 10.01.2017 एवं 25.01.2017 पारित करने में विधि एवं तथ्य संबंधी ऐसी गंभीर त्रुटि की है, जो शुद्धता, वैधता, औचित्य एवं अधिकारिता के आधार पर पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है? |
|-----|--|

### ॥ सकारण निष्कर्ष ॥

07. प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक देवसिंह बगैरह की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 12/17 में आलोच्य आदेश दिनांक 10.01.2017 में इस निष्कर्ष को चुनौती दी गई है कि वादग्रस्त स्थान पुनरीक्षणकर्तागण के स्वयं की स्वत्व की भूमि है जिसके लिए सीमांकन आवश्यक है, किन्तु उसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने सीमांकन से इन्कार

किया है। यदि आलौच्य आदेश का अवलोकन किया जाए तो विचारण न्यायालय ने केवल यह उल्लेखित किया है कि दोनों पक्षों के सीमांकन की आवश्यकता धारा 133 जा0फौ0 के प्रकरण में प्रतीत नहीं होती है। धारा 133 पब्लिक न्यूसेन्स के लिए है न कि अतिक्रमण के लिए।

08. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 कार्यपालक मजिस्ट्रेट को न्यूसेन्स हटाने के लिए अधिकृत करती है, जबकि ऐसा कोई न्यूसेन्स किसी लोक स्थान, किसी मार्ग, नदी या जलसरणी से, जो जनता द्वारा विधि पूर्वक उपयोग में लाया जाता हो या लाई जा सकती है। अन्य और भी परिस्थितियाँ हैं जिनमें आम जन को न्यूसेन्स से बचाने के लिए सशर्त आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है। प्रश्नगत प्रकरण रास्ता अवरुद्ध करने के संबंध में है। गैरपुनरीक्षणकर्ता रमेशचंद्र बगैरह की ओर से यह आधार लिया गया है कि वादग्रस्त स्थान खुली भूमि रही है जो रास्ते के रूप में गोहद मौ रोड के लिए उपयोग होती रही है, जबकि अनावेदक/पुनरीक्षणकर्ता देवसिंह के द्वारा यह आधार लिया गया है कि वादग्रस्त भूमि उनके स्वत्व की भूमि है जो उनके आधिपत्य की है, जिसमें से आवेदकगण नवीन रास्ते का निर्माण करना चाहते हैं।

09. यह सही है कि लोक न्यूसेन्स के मामले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को शक्तियाँ प्राप्त हैं, किन्तु यह महत्वपूर्ण है कि उक्त शक्तियाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133(1) में दर्शित उपधारा (क) से लगायत 4 में दी गई धाराओं में ही की जा सकती है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि लोक न्यूसेन्स के मामले में किसी के स्वयं के स्वत्व की सम्पत्ति से रास्त चाहने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त स्थान को अनावेदकगण ने अपने स्वत्व की भूमि होना दर्शाया है। आवेदकगण ने उस पर रास्ता होना दर्शाया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त स्थान किस व्यक्ति के स्वत्व का है इस संबंध में सीमांकन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तत्पश्चात् ही प्रकरण में उचित व योग्य कार्यवाही की जा सकती है।



10. पुनरीक्षणकर्ता देवसिंह की ओर से एक अन्य याचिका 42/17 प्रस्तुत करते हुए आलौच्य आदेश दिनांक 25.01.2017 को इस आधार पर चुनौती दी है कि उन्हें प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया है और फोटो प्रतियों को प्रमाणित किया गया है। विचारण न्यायालय ने बगैर कोई कारण दर्शाए आवेदनपत्र निरस्त किया गया है।

11. साक्ष्य किस प्रकार अभिलिखित की जाएगी, कौन सी साक्ष्य विश्वसनीय हो सकती है, इस संबंध में केवल फोटो कॉपियों को प्रदर्शित किया जाना साक्ष्य अधिनियम में दर्शाए प्रावधान अनुसार ही अनुज्ञात किया जा सकता है। प्रकरण में द्वितीयक साक्ष्य की परिस्थितियाँ थीं ऐसा अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश से दर्शित नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता को प्रतिपरीक्षण का अवसर न देकर साम्या के प्रतिपादित सिद्धांत का भंग किया है। परिणामतः अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनांक 25.01.2017 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

12. परिणामतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/15 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2017 एवं 25.01.2017 विधि के मान्य सिद्धांतों के विपरीत होकर पुनरीक्षणाधीन शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है।

13. अतः पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत यह पृथक पृथक पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 12/17 व 42/17 स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश दिनांक 10.01.2017 एवं 25.01.2017 अपास्त किये जाते हैं और अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त स्थान के संबंध में सीमांकन कराकर स्वत्व के प्रश्न पर भी विचार करे तथा पुनरीक्षणकर्ता को साक्षी राजकुमार के प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान कर विधि अनुसार उचित आदेश पारित करे।

14. उक्त निर्देश के साथ वर्तमान याचिकाओं का निराकरण किया जाता है।

15. आदेश की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख अविलंब लौटाया जाये।

आदेश खुले न्यायालय में पारित मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद  
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद  
जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)